कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 12.05.2015

शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12.05.2015 को सायः 4.00 बजे एम्पावर्ड स्टेंन्डिंग कमेटी की बैठक में M/s Ram kalyan Sharma, Mahadevwali, Shiv Nagar, Tonk द्वारा **अनुबंध संख्या** 19/1998-99 के अन्तर्गत संवेदक फर्म को आंवटित कार्य " Excavation & Lining of RMC Bisalpur Project from RD 35000 mt. to RD 38000 Mt " **के** क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लैम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। **इस बैठक मे निम्न अधिकारियो ने भाग लिया :–**

1. श्री वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव (वित्त विभाग)।
3. श्री पांचाराम भाकल, अति. मु. अ. (मुख्या.) एवं अधिकृत प्रतिनिधि अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता जल संसाधन राजस्थान जयपुर।
4. श्री सतपाल मीणा अधी. अभि. एवं अधिकृत प्रतिनिधि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भांग, जयपुर।

बैठक में संवेदक श्री रामकल्याण शर्मा स्वंय एवं उनके पक्ष समर्थक श्री जी.पी.शर्मा सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर उपस्थिति हुये तथा विभाग की और से अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड तृतीय, बीसलपुर परियोजना देवली उपस्थित हुए।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि उक्त कार्य की निविदा मुख्य अभियन्ता, बीसलपुर परियोजना जयपुर द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक एफ.371/लेखा/98/2045 दिनांक 18.11.98 द्वारा स्वीकृत की गई। तत्पश्चात् तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, नहर खण्ड द्वितीय, बीसलपुर परियोजना, देवली ने उनके पत्र कमांक 3191 दिनांक 19.11.98 द्वारा राशि रू. 1,10,99,941/– का कार्यादेश जारी किया गया था। कार्यादेश के अनुसार उक्त कार्य प्रारम्भ एंव समाप्ति की दिनांक कमशः 04.12.98 एवं 04.03.2000 नियत थी। इसके अनुसार संवेदक को यह कार्य कुल 457 दिवस में पूर्ण करना था। परन्तु संवेदक द्वारा राशि रू. 10.12 लाख का अतिरिक्त कार्य सम्पादित किया गया इसके लिये संवेदक को 42 दिवस का अतिरिक्त कार्य दिवस समयावधि देय थी।

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उक्त कार्य दिनांक 21.03.1999 को प्रारम्भ कर, अतिरिक्त कार्य सहित दिनांक 03.07.2001 को पूर्ण किया गया। अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण किये जाने हेतु कुल 499 दिवस (457+42) देय थे। उक्त कार्य पूर्ण करने में कुल 942 दिवस का समय लिया गया। सम्पूर्ण कार्य अवधि 942 दिवस में से 572 दिवस की विभागीय बाधाए रही थी। उनके द्वारा सम्पूर्ण कार्य कुल 370 दिवस (942-572) में ही पूर्ण कर लिया गया था इस कारण से कार्य का समयावधि प्रकरण सहायक अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा बिना क्षतिपूर्ति आरोपित किये स्वीकृत किये जाने की अनुशषा के साथ सक्षम कार्यालय मुख्य अभियन्ता, बीसलपुर परियोजना, जयपुर को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। मुख्य अभियन्ता, बीसलपुर परियोजना, जयपुर ने उनके पत्रांक 106 दिनांक 15.04.2002 द्वारा संवेदक पर 0.10 प्रतिशत की शास्ति राशि रू. 11,100/– आरोपित करते हुये समयावधि प्रकरण स्वीकृत किया गया था।

साथ ही संवेदक द्वारा कमेटी को यह भी अवगत कराया गया कि उक्त कार्य सम्पादन हेतु सीमेन्ट विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जानी थी, जिसकी वसूली राशि रू. 157.55 प्रति बेग की दर से की जानी थी। लेकिन विभाग के पास सीमेन्ट उपलब्ध नही होने के कारण मुख्य अभियन्ता, बीसलपुर परियोजना जयपुर ने उनके कार्यालय पत्रांक दिनांक 13.01.2000 के द्वारा संवेदक को स्थानीय बाजार से सीमेन्ट क्रय करने की स्वीकृति जारी की थी, जिसकी वसूली "The agreemental rate vis a vis market rate be compared and if market rate is less, the recovery from the issue rate/agreement rate to market rate will be made." के अनुसार की जानी थी। इस प्रकार मुख्य अभियन्ता द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार संवेदक से कुल 12570 बेग के अन्तर की राशि रू. 139940/– की वसूली की गई थी। परन्तु महालेखाकार राजस्थान जयपुर के द्वारा निरीक्षण अवधि 12/99 से 04/2001 में लिये गये अनुच्छेद के अनुसार उक्त अन्तर राशि बाजार दर के स्थान पर DGS &D की दर से की जावे। महालेखाकार के उक्त अनुच्छेद के क्रम में विभाग द्वारा इश्यू रेट एवं DGS &D की दर की अन्तर राशि की वसूली राशि रू. 3,00,955/– संवेदक से की गई थी।

कमेटी के समक्ष प्रस्तुत तथ्यो/अभिलेखो एवं दोनो पक्षों की सुनवाई के उपरान्त कमेटी द्वारा क्लेम वाईज निम्न निर्णय पारित किया गया :–

1. <u>सीमेन्ट की मार्केट दर से इश्यू रेट के अन्तर की गलत रिकवरी :–</u>

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया कि मार्केट से सीमेन्ट मुख्य अभियन्ता, बीसलपुर परियोजना जयपुर के पत्र दिनांक 13.01.2000 के द्वारा अधिरोपित शर्त के क्रम में ही सीमेन्ट बाजार से क्रय कर, कार्य के उपयोग में ली गई थी ओर उसके अनुसार ही नियमानुसार कटौती करवा ली गई थी। परन्तु विभाग द्वारा मनमाने ढंग से सीमेन्ट की मार्केट दर से DG&SD की रेट का अन्तर राशि रूपये 3,00,955/– की वसूली की गयी है वह उचित नही है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा कमेटी को अवगत करवाया गया कि महालेखाकार राजस्थान जयपुर द्वारा निरीक्षण अवधि 12/99 से 11/01 में लिये गये अनुच्छेद के क्रम में मुख्य अभियन्ता बीसलपुर परियोजना जयपुर द्वारा अपने पत्रांक लेखा/100 दिनांक 12.4.02 के द्वारा बीसलपुर परियोजना में वर्ष 1999–2000 एवं 2000–2001 में बजट की कमी के कारण कार्यो को ठेकेदारो द्वारा स्वयं के खर्चे पर बाजार से क्रय की गयी सीमेन्ट एवं अनुबन्ध के शिडयुल जी में वर्णित दर के अन्तर की वसूली के क्रम मे मार्ग दर्शन प्रदान करने हेतु लिखा गया कि क्या संवेदक से अन्तर की वसूली की जावे। यदि की जावे तो बाजार दर किसे माना जावे। संवेदक द्वारा दिये गये बिलो को अथवा उस समय विधमान डी.जी.एस. एण्ड डी. दर को माना जावे। मुख्य अभियन्ता, बीसलपुर के पत्र के क्रम मे उप शासन सचिव एवं प्रावै.सहा. वास्ते मुख्य अभियन्ता, सिचाई राजस्थान जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 2669 दिनांक 16.5.2002 के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया कि उक्त कार्य के समय सी.एस.पी.ओ. एवं डी.जी.एस. एण्ड डी. दर संविदा में लागू होना उल्लेखित किया गया है तथा नियमो में भी यही प्रावधान है कि जब उक्त दरे उपलब्ध हो तो खरीद उसी दर के अनुसार की जानी चाहिये। अतः जो दर सी.एस.पी.ओ. व डी.जी.एस एण्ड डी की उस समय प्रभावी थी तो उसी के अनुसार संवेदक को भुगतान किया जाना चाहिये था। यदि इन दरों से अधिक भुगतान किया गया है तो अन्तर की राशि वसूली योग्य होगी। उपरोक्त क्रम मे विभाग द्वारा संवेदक से अन्तर की राशि रूपये 3,00,955/– की कटौती की गई थी।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि संवेदक से अन्तर की राशि रू. 3,00,955/– वसूल किये जाने के सम्बन्ध में महालेखाकार को अवगत करवाये जाने पर उनके द्वारा वसूली से सम्बन्धित लिये गये अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया था।

कमेटी द्वारा दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात निर्णय लिया गया कि संवेदक द्वारा कमेटी के समक्ष प्रस्तुत तथ्य महालेखाकार द्वारा लिये गये आक्षेप के विपरीत है। अतः कमेटी द्वारा क्लेम को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

2. **नियम विरूद्व अधिरोपित क्षतिपूर्ति राशि रूपये 11100/– लोटाने के कम में।**

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया कि कार्य में बाधा विभागीय कारणों से रही है। जैसे विभाग के पास सीमेन्ट उपलब्ध न होना, नहर निर्माण में भूमि का मुआवजा भुंगतान न होने से भूमि का अधिग्रहण न किया जाना तथा विभाग के पास भुगतान हेतु प्रर्याप्त बजट का अभाव था। संवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि सवेदक द्वारा कार्यादेश राशि से रूपये 10.12 लाख का अतिरिक्त कार्य निर्धारित अवधि 499 दिवस से कम अवधि 370 दिवस में ही पूर्ण किया गया था। उपरोक्त समस्त कारणों के आधार पर सहायक अभियन्ता स्तर से अधीक्षण अभियन्ता स्तर से समस्त अधिकारियों द्वारा समयावधि प्रकरण मुख्य अभियन्ता बीसलपुर को बिना क्षतिपूर्ति के अपनी अभिशंषा के साथ प्रस्तुत किया गया था। जिसे मुख्य अभियन्ता बीसलपुर परियोजना जयपुर द्वारा बिना किसी कारण के शास्ति राशि 0.10 प्रतिशत रूप्ये 11100/– अधिरोपित करते हुए स्वीकृत किया गया जो कि नियमानुसार नही था। इस कारण से संवेदक को Price escalation का भुगतान नही हो सका।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि समयावधि प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता, बीसलपुर को अपनी अभिशषा के साथ प्रस्तुत किया गया था। मुख्य अभियन्ता बीसलपुर द्वारा अनुबन्ध के क्लाज 2 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रकरण के गुण दोष के आधार पर 0.10 प्रतिशत टोकन शास्ति के रूप में आरोपित की गई थी। जिसके लिये मुख्य अभियन्ता सक्षम थे।

कमेटी द्वारा दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात निर्णय लिया गया कि समयावधि प्रकरण का निस्तारण सक्षम अधिकारी मुख्य अभियन्ता द्वारा नियमानुसार ही किया गया है। अतः कमेटी द्वारा क्लेम को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

3. **संवेदक द्वारा क्लाज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम के प्रतिउत्तर में विभाग द्वारा सीमेन्ट रिकवरी का क्लेम स्वीकार किये जाने के कम में।**

संवेदक द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा क्लाज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम के प्रतिउत्तर में विभाग द्वारा सीमेन्ट की रिकवरी गलत किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी थी तथा सीमेन्ट रिकवरी राशि रूपये 4,65,239/– भुगतान योग्य होने की अभिशंषा की गयी थी। अतः उक्त राशि का भुगतान मय ब्याज के किया जावे।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि उक्त अभिशंषा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा क्लेम का प्रतिउत्तर पर अधीक्षण अभियन्ता बांध वृत बीसलपुर परियोजना देवली द्वारा अपनी सहमति प्रदान किये जाने के पश्चात ही संवेदक को क्लेम के प्रतिउत्तर की प्रति उपलब्ध करवाई गयी। जिसमे उन्होने सीमेन्ट रिकवरी की राशि रूप्ये 4,65,239/– भुगतान योग्य होना स्वीकार किया था।

कमेटी द्वारा दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात निर्णय लिया गया कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–III, बीसलपुर परियोजना देवली तथा अधीक्षण अभियन्ता बांध वृत बीसलपुर परियोजना देवली द्वारा बिना रिकार्ड का अध्ययन किये तथा तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त किये बिना ही संवेदक का उक्त क्लेम स्वीकार करने की अभिशंषा किये जाने के कारण इनके विरूद्व सीसीए नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग, जयपुर द्वारा प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं क्लेम निरस्त किया।

4. संवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लेम के सम्बन्ध में ।

1.	सीमेन्ट की गलत रिकवरी राशि –	3,00,955/– + 139940/–
2.	Price escalation का भुगतान	12,62,552
3.	गलत प्रस्तावित शास्ति लौटाये जाना	11,100
4.	आर्बीट्रेशन की फीस	47,500
5.	अंतिम बिल भुगतान पर देय ब्याज	6,06,218
	कुल राशि	23,68,215

कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्य आधारहीन होने के कारण क्लेम निरस्त करने योग्य है। अतः कमेटी द्वारा क्लेम को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।

संवेदक द्वारा सूचित तथ्य आधारहीन होने के कारण क्लेम निरस्त करने योग्य है। अतः कमेटी द्वाराक्लेम को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

(सत्यपाल मीणा) अति. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, जयपुर	(पांचाराम भाकेल) अति. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज, जयपुर	(जाकिर हुसैन) संयुक्त शासन सचिव प्रतिनिधि वित्त विभाग	(वीरेन्द्र सिंह) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि विधि विभाग	(अजिताभ शर्मा) शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर